न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजगढ (म.प्र.)

क्र / 7508 / एस.डब्ल्यू / 2020 / राजगढ दिनांक 10-7-20

।। आदेश ।।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्र. 40–3 / 2020–डीएम– I(ए) दिनांक 30.05.2020 तथा गृह विभाग, म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्र. 189 / 2020 / सी–2 दिनांक 31.05.2020 एवं गृह विभाग, म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्र. 204 / 2020 / सी–1 दिनांक 09.07.2020 में प्रदत्त निर्देशो के संदर्भ में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत प्रसारित आदेश क्र. / 7214 / एस.डब्ल्यू / 2020 / दिनांक 04.07.2020 में निम्नानुसार आंशिक संसोधन किया जाता है :–

1. जिले में रविवार के दिन विभिन्न शहरों / कस्बों में अनावश्यक भीड हो जाती है तथा कोविड–19 के संबंध में आवश्यक सावधानिया नहीं बरती जा रही है। अतः राजगढ जिले में प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाकर लोगो का अनावश्यक घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया जाता है।
2. शेष संपूर्ण आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नही है और न ही यह संभव है इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये । अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भादवि की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही संपादित की जावेगी।

यह आदेश दिनांक .07.2020 से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा।

(नीरज कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
राजगढ (म.प्र.)

पृ.क्र. / 7509 / एस.डब्ल्यू. / 2020 राजगढ दिनांक 10 / 7 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल
2. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
3. पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन।
4. पुलिस अधीक्षक राजगढ की ओर प्रेषित कर लेख है कि, समस्त थाना प्रभारी को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ
6. उपखण्ड मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / मुख्य नगरपालिका अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त)..............................
7. सहायक संचालक जनसम्पर्क विभाग राजगढ की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला राजगढ (म.प्र.)

Scanned with CamScanner